प्राचार्य का कार्यालय, दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय, लहेरियासराय।

ज्ञापांक- 258 /लहेरियासराय,दिनांक- 10.1.2026

वित्तीय वर्ष २०२५-२६ के अन्तर्गत अल्पकालीन निविदा का नियम एवं शर्ते

१- निविदा प्राप्त करने की अंतिम तिथि प्रथम प्रकाशन के तिथि से १० दिनों के अन्दर अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्राप्त होनी चाहिए। यदि 10 वें दिन किसी प्रकार की छुट्टी रहती है, या अपरिहार्य कारण से प्राचार्य कार्यालय बंद रहता तो उसके अगले दिन डाक विभाग से 10 वें दिन तक को प्राप्त निविदा को ली जायेगी। उपर्युक्त दिए गए अवधि के पश्चात् प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा । बाद में प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा, और ना ही इस संबंध में कोई पत्राचार मान्य होगा। डाक विभाग में हुई देरी के लिए अंतिम तिथि में कोई छूट नहीं दी जायेगी। निविदा प्रथम प्रकाशन की तिथि से ही मान्य होगा।

२-निविदा दो प्रकार की होगी। पहला-(क) तकनीकी निविदा, जिसमें मशीनों/सामानों, रसायन आदि की सूची,मेक,गुणवत्ता, मॉडल, स्पेशिफिकेशन, कैटलॉग, पैन, जी०एस०टी० आदि, अधिष्ठान, अधिकृत विक्रेता प्रमाण-पत्र आदि से संबंधित कागजात तथा मशीनों के आवश्यक्तानुसार टर्न-की के तहत आने वाली कार्यों का उल्लेख भी करना होगा। दूसरा (ख) वित्तीय निविदा होगा, जिसमें सामानों/कार्यों का दर कर सहित एवं कर रहित अंकित हो । दोनों निविदा अलग–अलग मुँहरबंद लिफाफे में डालकर बड़े–बड़े अक्षरों में तकनीकी निविदा एवंम वित्तीय निविदा)टंकित कर पुनः एक बड़े लिफाफें में भरकर सील बंद कर पी0आर0 नं0 लिखते हुए उस पर जिन सामानों का निविदा हो (कंडिका–3 के अनुसार) अलग–अलग उसका नाम अंकित कर प्राचार्य, दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय, लहेरियासराय –846003, के पदनाम से निबंधित डाक/स्पीडपोस्ट द्वारा भेजी जाय।(तकनिकी निविदा एवं वित्तीय निविदा के मुँहरबंद लिफाफ में Hard copy एवं Soft Copy(CD/DVD/Pen drive) संलग्न करना अनिवार्य होगा)। वित्तीय निविदा के लिफाफे के अन्दर वित्तीय निविदा की दो प्रति में– I एवं II अलग–अलग सीलबंद कर रखा जाय ।

3– निविदा दाताओं को निविदा के साथ निम्नलिखित सामानों/कार्यों के सामने अंकित अग्रधन के रूप में अंकित राशि किसी भी राष्ट्रीय बैंक/डाक घर का बैंक, ड्राफ्ट अथवा एन0एस0सी0 (जिसका सत्यापन अंकित स्थानीय स्तर से हो सके) जो प्राचार्य, दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय, लहेरियासराय के पदनाम से भुगतेय हो संलग्न करना अनिवार्य है। निविदा प्रकियॉं पूर्ण होने के फलस्वरूप अग्रधन की राशि नियमानुसार वापस कर दी जायेगी :–

I– मशीन उपकरण, फिक्सींग एवं फर्निसिंग कार्य के लिये – 1,00,000/–

II– उपस्कर– लकड़ी एवं स्टील, दवा रसायन, किट, ग्लासवेयर रिएजेन्ट,स्टेशनरी, उपस्कर की मरम्मती इत्यादि की आपूर्ति के लिए– – 25,000/–

4– कंडिका 3 (तीन) के क0 सं0 I एवंम II मे अंकित सामानों/कार्यों के लिए अलग–अलग निविदा करना होगा । प्रत्येक टंकित निविदा प्रपत्र दो अलग–अलग मुहरबंद लिफाफों में होगी, जिसमें एक पर तकनीकी निविदा (लिफाफा– (क) एवं दूसरे पर वित्तीय निविदा (लिफाफा–(ख)) अंकित होगा। दोनों लिफाफों को एक तीसरे बड़े लिफाफों में मुहरबंद कर उसके उपर क0 सं0 I से संबंधित सामानों /कार्यों के निविदा, अथवा क0 सं0 II से संबंधित सामानों/कार्यों के निविदा उल्लेख करना अनिवार्य होगा, अन्यथा निविदा अस्वीकृत कर दिया जायेगा। निविदादाता को यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस संस्थान के वेबसाईट पर अंकित निविदा सूची (सामानों/कार्यों का) में अंकित विभिन्न सामानों/कार्यों की सूची जिस कमवार में टंकित है उसी कमानुसार सामानों/कार्यों का उल्लेख अपने तकनिकी एवं वित्तीय निविदा में अंकित करना अनिवार्य होगा।

5– नोटरी पब्लिक द्वारा फर्म को यह शपथ–पत्र समर्पित करना होगा कि उनके फर्म को काली सूची में नहीं डाला गया है अथवा काली सूची में डालने की प्रकिया नहीं चल रही है, तथा उस पर कोई कानूनी कारवाई लम्बित नहीं है।

6–तकनीकी निविदा के तहत सामानों का तकनीकी विवरण आई0एस0आई0/आई0एस0ओ0 के द्वारा प्रमाण पत्र, पेन नम्बर कार्ड, निबंधन प्रमाण–पत्र, GST निबंधन प्रमाण–पत्र की स्पष्ट छाया प्रति जो स्व अभिप्रमाणित हो संलग्न करना अनिवार्य है। निविदादाताओं के निर्माता/ अधिकृत विकेता एवं प्रधिकृत वितरक यदि है का प्रमाण–पत्र निविदा के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा। निविदादाता/आपूर्तिकर्त्ता को मशीनों/सामानों के निश्चित अवधि तक के लिये सफल संचालन हेतु एकरारनामा करना होगा। तकनिकी निविदा के प्रथम पृष्ठ पर दिये गये सामानों की सूची (इन्डेक्स) आवश्यक रूप से संलग्न करना होगा, जिसमें स्पष्ट रूप से निविदा सूची के कमवार तकनिकी विवरण अंकित होना चाहिए कि वे किन–किन कार्यों हेतु निविदा दे रहें है, एवं इस निविदा में अंकित सामानों का पृष्ठ संख्या क्या है।

7– निविदा में किसी प्रकार का मात्र छुट अंकित न कर छुट सहित दर अंकित करें।

Scanned with OKEN Scanner

निविदादाताओं को प्रत्येक सामानों/ कार्यों का बाजार दर तथा उसमें लगने वाले एसेसिरीज का दर, अधिष्ठापन का दर तथा अन्य दर जो नियमतः देय हो, को वित्तीय निविदा में सामानों/कार्यों के सामने अलग–अलग उल्लेख करना अनिवार्य होगा। मशीनों/सामानों का मूल्य बाजार दर से अधिक नहीं होना चाहिए ।

9– सभी निविदा कम्प्युटर टंकित होनी चाहिए। किसी प्रकार का काट–कुट या लीप लेपन होने पर निविदा स्वतः रद्द समझा जायेगा। सभी निविदादाता अपने–अपने निविदा में अपने एजेन्सी/फर्म का ई–मेल निश्चित रूप से अंकित करें। जिससे कि किसी भी प्रकार का सूचना ई–मेल के माध्यम से दिया जा सकें।

10– निविदा खोलने की तिथि को निविदादाता या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि बैठक में उपस्थित रह सकते है। इसकी सूचना कॉलेज के सूचनापट एवं वेबसाइट पर देखी जा सकती है। इसके लिए अलग से कोई सूचना नहीं दी जायेगी तथा बैठक में भाग नहीं लेने वाले द्वारा बाद में किसी भी प्रकार का कोई शिकायत करने पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार का सूचना दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय, लहेरियासराय के website www. dmc.edu.in अथवा नोटिस बोर्ड पर देखा जा सकता है, तथा वेबसाईट पर प्रकाशित सूची को डाउनलोड कर उसके क्रमानुसार निविदा किया जा सकता है । किसी भी कार्य दिवस के दिन निविदा प्रकाशन की तिथि से 10 दिनों के अन्दर निविदा सूची, नियम एवं शर्त्तें कार्यालय में आवेदन देकर भी प्राप्त किया जा सकता है।

11– बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठानों या लघु उद्योग विभाग से निबंधित चालू इकाईयों, उत्पादनरत् को नियमानुसार प्राथमिकता दी जायेगी। बिहार में उद्योग ईकाई के रूप में निबंधित फर्मों को संबंधित उद्योग पदाधिकारी से चालू इकाई/उत्पादनरत् का प्रमाण–पत्र प्राप्त कर उसकी स्पष्ट स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना होगा, अन्यथा उनके निविदा को सामान्य निविदा समझा जायेगा।

12– सरकारी प्रावधानों/नियमों के अनुसार अग्रधन की राशि में छुट दी जा सकती है। निविदा अस्वीकृत होने की स्थिति में निविदा दाताओं को अग्रधन की राशि वापस कर दी जायेगी, जिसके लिए उन्हें निबंधित डाक टिकट लगा लिफाफा संलग्न करना होगा।

13– निविदा दाता अपने वित्तीय निविदा में सामानों का दर टैक्स सहित एवं टैक्स रहित स्पष्ट रूप से अंकित करेंगें, दोनों दर अंकित नहीं रहने पर निविदा स्वतः रद्द समझी जायेगी।

14–जिन आपूर्तिकर्त्ता द्वारा सामानों की आपूर्ति करने में बाधा पहूँचायी जायेगी या समय पर आपूर्ति करने में वे विफल रहेंगे, उनकी अग्रधन की राशि जप्त कर ली जायेगी, तथा उसे ब्लैकलिस्ट करने की कारवाई की जायेगी। किसी भी सामानों/मशीन के मरम्मति उपरांत उसका एक वर्ष का गारंटी देना अनिवार्य होगा। यदि एक वर्ष के अन्दर में मरम्मति किये गये मशीन में खराबी आती है, तो आपूर्तिकर्त्ता को निशुल्क उस मशीन का पुनः मरम्मति करना पड़ेगा, अन्यथा उनका अग्रधन कि राशि जब्त करते हुए उन पर कानूनी कारवाई की जायेगी।

15–आपूर्तिकर्त्ता को मानक कम्पनी का दर/डी0जी0एस0 एण्ड डी0 का दर यदि उपलब्ध हो तो रेट का उल्लेख अपने निविदा में करना होगा। मशीन सामग्री आदि का मूल्य किसी भी परिस्थिति में केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सिलिंग/एम0आर0पी0 मूल्य से अधिक नहीं होना चाहिए। साथ ही निविदादाता को इस आशय का घोषणा पत्र (नोटरी पब्लिक द्वारा) मूल रूप में देना होगा कि निविदा में अंकित दर केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सिलिंग मूल्य के अन्तर्गत है।

16–फिक्सींग एवं फर्निसिंग कार्य के लिए निविदादाता निविदा सूची में अंकित विभागों में होने वाले फिक्सींग एवं फर्निसिंग कार्य के लिये के अपने स्तर से निरीक्षण कर कार्यसूची तैयार करेंगें तथा उसके अनुसार ही निविदा देंगें । निविदा स्वीकृत होने के फलस्वरूप चयनित निविदादाता संबंधित विभाग में होने वाले फिक्सींग एवं फर्निसिंग कार्य के लिये निदेशानुसार स्टीमेट समर्पित करेंगें, जिसमें मापी से संबंधित कार्य का सत्यापन निबंधित अभियंता अथवा इंटीरियर डेकोरेटर से कराना अनिवार्य होगा, तथा कार्य पूर्ण होने के बाद संबंधित विभागाध्यक्ष के अतिरिक्त मापी संबंधी प्रमाण–पत्र पर निबंधित अभियंता अथवा इंटीरियर डेकोरेटर के हस्ताक्षरित प्रमाण–पत्र मिलने के बाद ही भुगतान की प्रकिया की जायेगी ।

17– नियमानुसार जिन निविदादाताओं का तकनिकी निविदा क्रय समिति द्वारा स्वीकृत किया जायेगा, उन्हीं निविदादाताओं का वित्तीय निविदा खोला जायेगा। जिन निविदादाताओं का जिन सामानों/कार्यों का स्पेसीफिकेशन, गुणवत्ता आदि के आधार पर तकनिकी निविदा क्रय समिति द्वारा, स्वीकृत किया जायेगा, उन्हीं सामानों/कार्यों का वित्तीय तुलनात्मक विवरणी तैयार किया जायेगा, जिन सामानों/कार्यों का क्रय समिति द्वारा तकनिकी रूप से स्वीकृत नहीं किया जायेगा उन सामानों/कार्यो का वित्तीय तुलनात्मक विवरणी तैयार नहीं किया जायेगा। जिन निविदादाताओं का तकनिकी निविदा क्रय समिति द्वारा अस्वीकृत किया जायेगा उन निविदादाताओं का निविदा स्वतः रद्द समझा जायेगा तथा तकनिकी रूप से अस्वीकृत निविदादाताओं का किसी प्रकार का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

18–एक लाख तक के मशीन/ उपकरण की एक वर्ष की गारंटी अनिवार्य होगी तथा चार वर्षों का वार्षिक रख–रखाव (ए0एम0सी0/सी0एम0सी0) करना होगा। चार वर्षों के लिए उक्त मशीन उपकरणों का वार्षिक रख–रखाव (ए0एम0सी0/सी0एम0सी0) का प्रतिवर्ष का दर प्रतिशत वित्तीय निविदा में उल्लेख करना होगा।

Scanned with OKEN Scanner

एक लाख से उपर वाली मशीन/उपकरण/उन्नयन कार्य के लिए तीन वर्षों का कम्प्रीहेसीव वारंटी अनिवार्य होगा तथा कम से कम पॉच वर्षों का वार्षिक रख–रखाव (ए0एम0सी0/सी0एम0सी0) करना होगा। न्यूनतम पॉच वर्षों के लिए उक्त मशीन उपकरणों/उन्नयन कार्यों का वार्षिक रख–रखाव (ए0एम0सी0/सी0एम0सी0) का प्रतिवर्ष का दर प्रतिशत वित्तीय निविदा में उल्लेख करना होगा। साथ ही साथ सफल संचालन हेतु एकरारनामा करना होगा।

20–एक लाख से उपर वाली मशीन के कय आदेश के मूल्य का 5 प्रतिशत किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से गारंटी बतौर जमानत आपूर्तिकर्त्ता को 15 दिनों के अन्दर देना होगा। उक्त बैंक गारंटी (Comprehensive) वारंटी की अवधि तक के लिए वैलिड(Valid) होना चाहिए। वारंटी की अवधि में आपूर्तिकर्त्ता द्वारा लगाये गये मशीनों में खराबी होने की सूचना दिये जाने के सात दिनों के अन्दर मशीन की मरम्मती करवाना होगा, अन्यथा वारंटी की अवधि स्वतः बढ़ जायेगी। ससमय मशीन ठीक नहीं होने की स्थिति में संबंधित आपूर्तिकर्त्ता के विरूद्व नियमानुसार कानूनी कार्रवाई के साथ–साथ जमानत की राशि जब्त कर ली जायेगी।

21– विपत्र का भुगतान आवंटन उपलब्ध रहने के आधार पर नियमतः श्रोत पर इन्कम टैक्स, जी0एस0टी0 आदि कटौती करने के बाद CFMS के माध्यन से किया जायेगा।

22–भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित जी0एस0टी0/अन्य नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।

23–अधोहस्ताक्षरी को यह पूर्ण अधिकार होगा कि बिना कारण बताये किसी भी निविदा को या उसके किसी हिस्से को रद्द अथवा अस्वीकृत कर सकता है साथ ही निविदा की तिथि में परिवर्तन कर सकते है।

24–किसी भी विवाद का न्यायिक क्षेत्र जिला स्तर पर दरभंगा न्यायालय एवं राज्य स्तर पर पटना उच्च न्यायालय होगा।

10/1/26

प्राचार्य

दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय

लहेरियासराय।

10.1.26

ज्ञापांक– /लहेरियासराय,दिनांक–

प्रतिलिपिः– आयुक्त दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा/जिलापदाधिकारी, दरभंगा/महाप्रबंधक, जिला उद्योग ईकाई, दरभंगा/जिला जन–सर्म्पक पदाधिकारी, दरभंगा/अधीक्षक, दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल,दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– कार्यालय के लेखा शाखा, दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।

एक प्रति कार्यालय के सूचना पट एवं वेबसाइट–www.dmc.edu.in पर देने हेतु ।

10/1/26

प्राचार्य

दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय

लहेरियासराय।

10.1.26

Scanned with OKEN Scanner